



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092026-276114
CG-DL-E-10092026-276114

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4783]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2026/भाद्र 17, 1948

No. 4783]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2026

का.आ. 4973(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 754एडी के कि.मी. 30+000 से कि.मी. 75+543 तक के भू-खण्ड लुधियाना-बठिंडा पैकेज-2 के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन/6-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप-मंडल मजिस्ट्रेट, रायकोट को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और उप-मंडल मजिस्ट्रेट, रायकोट, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे उप-मंडल मजिस्ट्रेट, रायकोट आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन उप-मंडल मजिस्ट्रेट, रायकोट द्वारा किया गया कोई भी

आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे उप-मंडल मजिस्ट्रेट, रायकोट के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 754 एडी के कि.मी. 30+000 से कि.मी. 75+543 तक के भू-खण्ड लुधियाना-बठिंडा पैकेज-2 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: पंजाब			जिले का नाम: लुधियाना		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: रायकोट					
गांव का नाम: आटीयाना(99)					
1	1833/2	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.0031 (हेक्टेयर)	0.0031
2	1833/3	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.0445 (हेक्टेयर)	0.0445
3	1834/1	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
4	1852	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.0031 (हेक्टेयर)	0.0031
5	1854	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.0126 (हेक्टेयर)	0.0126
6	1857	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.10117 (हेक्टेयर)	0.10117
7	1859	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.0885 (हेक्टेयर)	0.0885
8	1860	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.0253 (हेक्टेयर)	0.0253
गांव का नाम: राजोआना खुर्द (96)					
9	53//4/1	निजी	नहरी	0.02529 (हेक्टेयर)	0.02529
10	53//4/2	निजी	नहरी	0.01265 (हेक्टेयर)	0.01265
11	53//7	निजी	नहरी	0.08094 (हेक्टेयर)	0.08094
गांव का नाम: बुर्ज लिन्न (190)					
12	0//50	निजी	नहरी	0.0633 (हेक्टेयर)	0.0633
13	0//51	निजी	नहरी	0.31 (हेक्टेयर)	0.31
14	80	निजी	नहरी	0.1872 (हेक्टेयर)	0.1872
15	82	निजी	नहरी	0.1139 (हेक्टेयर)	0.1139
16	83	निजी	नहरी	0.0835 (हेक्टेयर)	0.0835
गांव का नाम: चक भाई का (26)					
17	4//23	निजी	चाही	0.02529 (हेक्टेयर)	0.02529
18	4//24	निजी	चाही	0.01265 (हेक्टेयर)	0.01265
19	8//10/1	निजी	चाही	0.01771 (हेक्टेयर)	0.01771
20	8//2/2	निजी	चाही	0.02023 (हेक्टेयर)	0.02023

21	8//3/1	निजी	चाही	0.01518 (हेक्टेयर)	0.01518
22	8//3/2	निजी	चाही	0.04553 (हेक्टेयर)	0.04553
23	8//9/1	निजी	चाही	0.01518 (हेक्टेयर)	0.01518
24	8//9/2	निजी	चाही	0.02276 (हेक्टेयर)	0.02276
गांव का नाम: नाथोवाल (169)					
25	107//10/2	निजी	नहरी	0.00506 (हेक्टेयर)	0.00506
26	108//14/1	निजी	नहरी	0.01771 (हेक्टेयर)	0.01771
27	108//14/2	निजी	नहरी	0.00759 (हेक्टेयर)	0.00759
28	108//15	निजी	नहरी	0.00506 (हेक्टेयर)	0.00506
29	108//17	निजी	नहरी	0.01771 (हेक्टेयर)	0.01771
30	108//18	निजी	नहरी	0.04047 (हेक्टेयर)	0.04047
31	108//23	निजी	नहरी	0.01265 (हेक्टेयर)	0.01265
32	108//6	निजी	नहरी	0.01771 (हेक्टेयर)	0.01771
गांव का नाम: हलवाड़ा 95					
33	196//11	निजी	नहरी	0.01265 (हेक्टेयर)	0.01265
34	196//20	निजी	नहरी	0.01771 (हेक्टेयर)	0.01771
35	197//15	निजी	नहरी	0.02529 (हेक्टेयर)	0.02529
Total					1.51419

[फा. सं. : 25221/NHAI/PIU/BTI/BDI-LDH/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th September, 2026

S.O. 4973(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four/six laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway 754AD in the stretch of land Ludhiana-Bathinda Package-2 section from Km 30+000 to Km 75+543 in the district of Ludhiana in the state of Punjab, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Divisional Magistrate, Raikot, in writing and shall set out the grounds thereof and the Sub-Divisional Magistrate, Raikot shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Sub-Divisional Magistrate, Raikot thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Sub-Divisional Magistrate, Raikot under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Sub-Divisional Magistrate, Raikot.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling of National Highway-754AD in the stretch of land Ludhiana-Bathinda Package-2 section from Km 30+000 to Km 75+543 in the district of Ludhiana in the state of Punjab

State: PUNJAB			District: LUDHIANA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Raikot					
Village: Aittiana (99)					
1	1833/2	Private	Agriculture ()	0.0031 (Hectare)	0.0031
2	1833/3	Private	Agriculture ()	0.0445 (Hectare)	0.0445
3	1834/1	Private	Agriculture ()	0.005 (Hectare)	0.005
4	1852	Private	Agriculture ()	0.0031 (Hectare)	0.0031
5	1854	Private	Agriculture ()	0.0126 (Hectare)	0.0126
6	1857	Private	Agriculture ()	0.10117 (Hectare)	0.10117
7	1859	Private	Agriculture ()	0.0885 (Hectare)	0.0885
8	1860	Private	Agriculture ()	0.0253 (Hectare)	0.0253
Village: Rajoana Khurd (96)					
9	53//4/1	Private	Nahari	0.02529 (Hectare)	0.02529
10	53//4/2	Private	Nahari	0.01265 (Hectare)	0.01265
11	53//7	Private	Nahari	0.08094 (Hectare)	0.08094
Village: Burj Littan (190)					
12	0//50	Private	Nahari	0.0633 (Hectare)	0.0633
13	0//51	Private	Nahari	0.31 (Hectare)	0.31
14	80	Private	Nahari	0.1872 (Hectare)	0.1872
15	82	Private	Nahari	0.1139 (Hectare)	0.1139
16	83	Private	Nahari	0.0835 (Hectare)	0.0835
Village: Chak Bhai Ka (26)					
17	4//23	Private	Chahi	0.02529 (Hectare)	0.02529
18	4//24	Private	Chahi	0.01265 (Hectare)	0.01265
19	8//10/1	Private	Chahi	0.01771 (Hectare)	0.01771
20	8//2/2	Private	Chahi	0.02023 (Hectare)	0.02023
21	8//3/1	Private	Chahi	0.01518 (Hectare)	0.01518
22	8//3/2	Private	Chahi	0.04553 (Hectare)	0.04553
23	8//9/1	Private	Chahi	0.01518 (Hectare)	0.01518
24	8//9/2	Private	Chahi	0.02276 (Hectare)	0.02276
Village: Nathowal (169)					
25	107//10/2	Private	Nahari	0.00506 (Hectare)	0.00506
26	108//14/1	Private	Nahari	0.01771 (Hectare)	0.01771
27	108//14/2	Private	Nahari	0.00759 (Hectare)	0.00759
28	108//15	Private	Nahari	0.00506 (Hectare)	0.00506
29	108//17	Private	Nahari	0.01771 (Hectare)	0.01771
30	108//18	Private	Nahari	0.04047 (Hectare)	0.04047
31	108//23	Private	Nahari	0.01265 (Hectare)	0.01265
32	108//6	Private	Nahari	0.01771 (Hectare)	0.01771
Village: Halwara 95					
33	196//11	Private	Nahari	0.01265 (Hectare)	0.01265
34	196//20	Private	Nahari	0.01771 (Hectare)	0.01771

35	197//15	Private	Nahari	0.02529 (Hectare)	0.02529
Total					1.51419

[F. No. 25221/NHAI/PIU/BTI/BTI-LDH/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director